ालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक 1.7.2020

मि.न 105/2020

सरकार बनाम अड़ीसाल
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कल्यांणपुरा कला ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की, है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम के कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 59/0.06 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से 0.04 है0 भूमि पर अड़ीसाल पुत्र बोदूराम जाति गुर्जर ने मिट्टी की जोत की जाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । सूचना बाद गैर सायल उपस्थित आये । जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि उसके द्वारा वाके ग्राम कुहाडा के खसरा नंबर 59/0.06 पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है। भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायलान द्वारा ग्राम कुहाड़ा के खसरा नंबर 59/0.06 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण सिद्व होता है । अतः आतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल अड़ीसाल पुत्र बोदूराम जाति गुर्जर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम कुहाड़ा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 59/0.06 है0 किस्म जमीन गैर मुमकीन रास्ता में 0.04 है0 भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा किये गये क़ब्जे को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 0.16रू. का पचास गुणा 8 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 1.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner